कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर

पत्रांक 4840/15–1 बिजनौर दिनांक अप्रैल 23 2024

सेवा में

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषय :–जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मेरठ द्वारा नजीबाबाद –कोटद्वार मार्ग (एन0एच0–119) from 2 lane to 2 lane paved shoulder From existing chainge 120+900 to 137+760 Design Chainge 120+900 to 137+760)के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 27.33 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 5866 वृक्षों के पातन/ट्रांसप्लांट की अनुमति के संबंध में। (Proposal No.FP/UP/Road/143597/2021)

सन्दर्भः– आपका पत्रांक –1535/26–11 (नजीबाबाद–कोटद्वारा मार्ग/एन0एच0–119) दिनांक 08.11.2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से उप वन संरक्षक बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद द्वारा कौडिया रेंज की "वन्य जीव संरक्षण योजना मु0रू0 2,40,31,062 (दो करोड चालीस लाख इकत्तीस हजार बासठ रू0) की प्रेषित की गयी थी। तत्संबंध मे प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तदानुसार दी गयी मिटीगेशन से संबंधित वचनबद्धता को प्रस्ताव में पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया था।

भारत सरकार पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू0पी0/06/257/2022/एफ.सी./759 दिनांक 13.12.2022 की शर्त संख्या–21 में यह टिप्पणी दी गयी कि "User agency shall provide requisite fund for site specific Wildlife Conservation/Mitigation measures U.P. State Govt.,needs to review and submit the site specific Wildlife Conservation Plan." उक्त टिप्पणी के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा पत्र संख्या–2112/14–1 दिनांक 24.023.2024 से प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद वन प्रभाग नजीबाबाद को Wildlife Conservation/Mitigation measures Plan को तदानुसार संशोधित करने हेतु पत्र भेजा गया जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित थी। प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद द्वारा पत्र संख्या–2635/22–1 दिनांक 27.03.2023 के माध्यम संशोधित Wildlife Conservation/Mitigation measures Plan धनराशि रू0 1,38,18,350.00 (एक करोड़ अड़तीस लाख अटठारह हजार तीन सौ पचास) का भेजी गयी जिसकी प्रति आपको पृष्ठांकित थी।उक्त संशोधित Mitigation measures Plan को इस कार्यालय के पत्र संख्या–2379/14–1 दिनांक 05.04.2023 से परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कियान्वयन इकाई नजीबाबाद को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। तत्क्रम में पी0आई0यू0 नजीबाबाद द्वारा उक्त धनराशि (रू0 1,38,18,350.00) कैम्पा फण्ड में जमा कर दी गयी।

यहां यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में प्रेषित Wildlife Conservation/Mitigation measures Plan धनराशि रू0 2,40,31,062.00 (दो करोड चालीस लाख इकत्तीस हजार बासठ रू0) के मिटीगेशन प्लान पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सहमति व्यक्त की जा चुकी थी, इसलिए संशोधित Wildlife Conservation/Mitigation measures Plan धनराशि रू0

Forest file

1,38,18,350.00 (एक करोड़ अड़तीस लाख अठठारह हजार तीन सौ पचास) जो पूर्व में प्रेषित मिटीगेशन मीजर्स से कम होने कारण पुनः अनुमोदन हेतु नहीं भेजा गया।

आज दिनांक 23.04.2024 को प्रकरण में **भारत सरकार पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा आर0ए0सी0 की वी0सी0 में यह निर्देश दिये गये है कि** Wildlife Conservation/Mitigation measures Plan को PCCF Wildlife Lucknow से अनुमोदित कराकर तत्काल भेजना सुनिश्चित करें ताकि प्रशनगत प्रस्ताव में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जा सकें। अतः उक्त निर्देश के कम में संशोधित Wildlife Conservation/Mitigation measures Plan की प्रमाणति छाया प्रति अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। कृपया उक्त मिटीगेशन प्लान को प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उ0प्र0 लखनऊ को अपने स्तर से अनुमोदनार्थ भेजने की कृपा करे। ताकि इसे पुनः पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।

संलग्नकः– मिटीगेशन मीजर्स प्लान की छाया प्रति में

भवदीय

(अरूण कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बिजनौर।

कार्यालयः प्रभागीय नजीबाबाद बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

पत्रॉक 2635 /22–1दिनॉक नजीबाबाद 27 मार्च,2023।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर।

विषय– जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मेरठ नजीबाबाद–कोटद्वार मार्ग (एन0एच0–119) from 2 lane to 2 lane pav shoulder (from Chainage 120+900 to 137+760) under Bharatm Pariyojna (Lot-4/Package-2) के चौडीकरण/सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 27.33 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर उपस्थित 5866 वृक्षों पातन/ट्रांसप्लांट की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ– आपका पत्रांक 2112/14–1 दिनांक 24.3.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में इस प्रभाग के अन्तर्गत कौडिया रेंज की Site speci wildlife Conservation Plan/Mitgation measures संशोधित कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक –यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

पत्रांक /14–1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित।

छाया प्रति प्रमाणित

उप प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

साईट स्पेसिफिक वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन प्लान

(कौडिया रेंज)

बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

प्रभाग एक दृष्टि में

1–	प्रभाग का नाम–	बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद।
2–	जनपद का नाम–	बिजनौर
3–	प्रभाग का मुख्यालय–	नजीबाबाद
4–	प्रभाग का पता–	शोभती मार्केट, कोतवाली रोड, नजीबाबाद, जनपद– बिजनौर
5–	प्रभाग का दूरभाष न0	01341–232066
6–	प्रभाग की रेंजो का नाम–	1– कौड़िया 2– साहनपुर 3– राजगढ 4– साहूवाला 5– बढापुर
7–	प्रभाग का कुल क्षेत्रफल	33399– हेक्टेयर

छाया प्रति प्रमाणित

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सा० वा० प्रभाग, बिजनौर

Scanned with OKEN Sc

1– प्रभाग का विवरण

बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद का समस्त क्षेत्रफल आरक्षित वन है। प्रभाग में खैर सागौन, शीशम व साल आदि प्रजाति के बहुमूल्य प्रजातियो के वन विधमान है। प्रभाग का समस्त वन क्षेत्र उत्तर एवं पश्चिम मे उत्तरांचल राज्य के पौडी एव हरिद्वार जनपद से एव पूर्व मे बिजनौर जनपद के शेष भाग से घिरा हुआ है। प्रभाग का क्षेत्र सामान्यता मैदानी है किन्तु शिवालिक की पहाडियो के तल पर स्थित होने के कारण कुछ भाग असमतल एंव भावर की है। शेष भाग तराई– भावर की पटटी बनाता है। यह एक वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है। यहा बाघ, तेंदुआ, हाथी, चीतल, जंगली सुअर, सांभर आदि वन्य जीव पाये जाते है। यह वन प्रभाग उत्तरांचल राज्य के कालागढ टाईगर रिजर्व तथा सरंक्षित वन क्षेत्रो मे बाघों, हॉथी तथा वन्य जीवों का आवागमन रहता है। उत्तरांचल राज्य के गठन के उपरान्त उत्तर प्रदेश का यह एक मात्र प्रभाग है जहा पर हाथियों की सख्या काफी है तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रभाग को शिवालिक हाथी रिजर्व मे सम्मिलित किया गया है।

प्रभाग को प्रबन्धन की दृष्टि से 5 रेंजो मे विभक्त किया गया है। इसमे 32 बीटे है। यह प्रभाग वन्य जीवों के अवैध शिकार के लिये भी अति संवेदनशील है तथा राज्य के संवेदनशील वन प्रभागो की सूची मे आता है। इस प्रभाग की कौडिया रेंज अति संवेदनशील है।

कौडिया रेंज की सीमा उत्तराखण्ड के कोटद्वारा से लगी हुई। कौडिया रेंज के अतर्गत वन्यजीवो का आवागमन बहुलता में होता है। इस रेंज के आरक्षित वन से होकर एन0एच0 119 तथा कोटद्वार–नजीबाबाद रेलवे लाइन गुजरती है। रवासन–सोनानदी हाथी कॉरीडोर की इस रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र तथा एन0एच0 119 कोटद्वारा–नजीबाबाद रेलवे लाइन से होकर गुजरता है। इस कारण से कौडिया रेंज वन्य जीवो सरंक्षण के दृष्टिगत अत्यधिक संवेदनशील है।

बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद के नियन्त्रणाधीन कौडिया रेंज क्षेत्र का क्षेत्रफल 6871.90 हेक्टेयर है तथा वन क्षेत्र में मुख्य वृक्ष प्रजाति साल, सागौन, शीशम, खैर आदि है तथा वन्य जीव प्रजाति में बाघ, तेन्दुआ, हाथी, हिरन आदि मुख्य है। यहॉ के वनो मे बहुमूल्य औषधीय प्रजातियॉ एवं जडी बूटियॉ यथा हरड बहेडा, ऑवला, जामुन, अर्जुन, अमलतास, बेल, ब्राम्ही, पीपल आदि प्रचुर मात्रा में है। प्रभाग के वन क्षेत्रों में प्रदेश के अन्य वन क्षेत्रों मे प्रदेश के अन्य वन क्षेत्रों की अपेक्षा जगली हाथियों की सख्या सबसे अधिक है। कौडिया रेंज से लगे ग्रामो मे हजारो लोग इन वनो से ईधन जलोनी लकडी, चारा पत्ती, छप्पर छाने की घास, आदि जरूरतो हेतु वन क्षेत्र मे आते रहते है। रेंज की सीमा पर काश्त की जमीन इस रेंज को और अधिक संवेदनशील बनाती है।

कापी प्रति प्रमाणित

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सा०वा० प्रभाग, बिजनौर

2– योजना के उद्देश्य :–

1–वन्य जीवों का संरक्षण।

2–मानव वन्य जीव द्वन्द्व रोकना।

3– भूमि कटान रोकना।

4– वन्य जीवों हेतु प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता कराया जाना।

5– वन्य जीवों के प्राकृतवासों का सुधार करना।

6– वन तथा वन्य जीवों के बावत आम नागरिकों में जनजागरूकता बढाया जाना।

7–वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु सूचना तंत्र एवं प्रशासनिक व्यवस्थओ का विकास करना।

8–वन्य जीवों को उनके प्राकृतवासों के पास रखने हेतु प्राकृतिक जलश्रोतों का विकास करना।

9–जैव विविधता संरक्षण।

10–प्राकृतिक सम्पदा में बढोत्तरी

11–जीवन की निरन्तरता बनाया रखना।

द्वारा प्रति प्रमाणित

प्रभागीय वनाधिकारी
न० वा० प्रभाग, बिजनौर

योजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का विवरण :-

1. **वन मार्गो की मरम्मत--** प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध वन तथा वन्य जीवो के सरक्षण हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि क्षेत्र मे सघन गस्त की जाये। प्रभाग का समस्त क्षेत्र तराई क्षेत्र होने के कारण अनेको नदिया वन क्षेत्र से गुजरती है तथा वर्षात मे वन मार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाते है, जिसकी मरम्मत कराया जाना वन तथा वन्य जीवो के सरक्षण एंव सम्वर्धन हेतु अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु वन मार्गो के किनारे झाडी कटान कर मार्गो के नजदीक से श्रमिकों के द्वारा मिटी का भरान कर सम्तल कर निरिक्षण /गस्त हेतु उपयुक्त बनाया जाना।

2. **पक्के वाटर होल का निर्माण--** प्रभाग का समस्त वन क्षेत्र तराई भावर होने के कारण पानी नही रूकता है। गर्मी के समय जो प्रार्कतिक रूप से पानी के सचय स्थल वन क्षेत्रो मे उपलब्ध है वह सुख जाते है तथा हाथी एंव अन्य वन्य जीव पानी की तालाश मे वन्य क्षेत्र से बाहर निकल जाते है जिससे वन्य प्राणियो से जान माल का खतरा बना रहता है तथा अनेको घटनाये मानव /पशु से वन्य जीवो के द्वन्द की होती रहती है। इस हेतु प्रभाग द्वारा पक्के वाटर होलो के निर्माण का प्राविधान किया जा रहा है ताकि मानव वन्य जीव द्वन्द्व का कम किया जा सके।

3. **पक्के वाटर होल में पानी की व्यवस्था हेतु सोलर टूयेवल समरसेबल बोरिग का निर्माण कार्य:--** गर्मी के समय प्राकृतिक रूप से पानी के सचय स्थल सूख जाते है तथा वन्य जीव पानी की तलाश मे ग्रामीण इलाको मे भटक जाते है। इसके निदान हेतु यह प्राविधानित किया जा रहा है कि पक्के वाटर होलो मे पानी की व्यवस्था हेतु सोलरी टूयेवल बोरिग का निर्माण किया जाये ताकि वन्य जीवों को पानी सुलभ हो सके।

4. **कच्चे वाटर होलो का निर्माण--** वन्य जीवों को पानी उपलब्ध कराने हेतु पक्के वाटर होलो की लागत अधिक होने के कारण यह सज्ञान मे लिया गया है कि पक्के वाटर होलो के साथ साथ वन्य क्षेत्रो मे कच्चे वाटर होल/छोटे तालाबो का निर्माण किया जाये। इस हेतु 20 मी0 लम्बाई 10 मी0 चौडाई एव 2 मी0 गहराई के छोटे कच्चे तालाब निर्माण का प्राविधान किया जा रहा है।

5. **पक्के वाटर होलो हेतु पानी की व्यवस्था--** गर्मी के समय प्राकृतिक रूप से पानी के सचय स्थल सूख जाते है तथा वन्य जीव पानी की तलाश में ग्रामीण इलाको मे भटक जाते है इसके निदान हेतु यह प्राविधानित किया जा रहा है कि पक्के वाटर होलो में प्रत्येक आठवें दिन दो टैंकर पानी प्रति वाटर टैंक भराया जाये ताकि वन्य जीवों को पानी सुलभ हो सके।

छाया प्रति प्रमाणित

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सा० वा० प्रभाग, बिजनौर

6. <u>राजकीय वाहन की आवश्यकता एंव राजकीय वाहनो की मरम्मत एंव ईधन पर व्यय</u> :- प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध वन तथा वन्य जीवो के संरक्षण हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि क्षेत्र में सघन गश्त की जाये। वन्य जीवो की सुरक्षा हेतु वाहन उपलब्धता एंव रख-रखाव किया जाना आवश्यक है। निजी कास्त से लगे वन क्षेत्रो मे गश्त करने एवं वन्य जीवो को वन मे खदेडने / भगाने हेतु स्टाफ को लाने ले जाने के लिये वाहन की आवश्यकता एवं मरम्मत आदि किया जाना आवश्यक है तथा ईधन का क्रय किये जाने हेतु धनराशि की आवश्यकता होगी। प्रभाग के अन्तर्गत 05 रेंज है। राजगढ रेंज एंव उप प्रभागीय वनाधिकारी हेतु 1-1 वाहन की आवश्यकता है।

7. <u>कैमरा ट्रैप</u>:- इस प्रभाग का क्षेत्र पूरब मे उत्तराखण्ड राज्य की कालागढ टाइगर रिजर्व / कार्बेट टाइगर रिजर्व एंव पश्चिम मे हरिद्वार वन प्रभाग / राजाजी राष्ट्रीय पार्क से मिला हुआ है। प्रभाग के वन क्षेत्र के बीचो बीच मे राजस्व ग्राम भी है। वन्य जीव जैसे टाइगर, हाथी, अन्य वन्य जीव उत्तराखण्ड से इस प्रभाग की सीमा में प्रवेश करते हुए एक स्थान से दुसरे स्थान को आवगमन करते है । जिससे कि वन्य जीव मानव द्वन्द की सम्भावना बनी रहती है। वन्य जीवो की निगरानी रखने हेतु इस प्रभाग द्वारा वन्य जीवो के आवगमन वाले अति संवेदनशील क्षेत्रो हेतु कैमरा ट्रैप क्रय किया जाना नितान्त आवश्यक होने के कारण क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

8. <u>वॉच टावर का निर्माण</u>:- इस प्रभाग का क्षेत्र पूरब में उत्तराखण्ड राज्य की कालागढ टाइगर रिजर्व / कार्बेट टाइगर रिजर्व एंव पश्चिम में हरिद्वार वन प्रभाग / राजाजी राष्ट्रीय पार्क से मिला हुआ है। प्रभाग के वन क्षेत्र के बीचो बीच मे राजस्व ग्राम भी है। वन्य जीव जैसे टाइगर, हाथी, अन्य वन्य जीव उत्तराखण्ड से इस प्रभाग की सीमा मे प्रवेश करते हुए एक स्थान से दुसरे स्थान को आवगमन करते है । जिससे कि वन्य जीव मानव द्वन्द की सम्भावना बनी रहती है। वन्य जीवो की निगरानी रखने हेतु इस प्रभाग द्वारा वन्य जीवो के आवगमन वाले अति संवेदनशील क्षेत्रो हेतु वॉच टावर का निर्माण कार्य किया जाना नितान्त आवश्यक है।

9. <u>राजकीय आग्नेयास्त्र की मरम्मत एव कारतूस क्रय</u>:- यह वन प्रभाग का समस्त क्षेत्रफल आरक्षित वन है। प्रभाग में खैर, सागौन, शीशम व साल आदि प्रजाति के बहुमूल्य प्रजातियो के वन विद्यमान है। प्रभाग का समस्त वन क्षेत्र उत्तर एवं पश्चिम में उत्तरांचल राज्य के पौडी एवं हरिद्वार जनपद से एवं पूर्व मे बिजनौर जनपद के शेष भाग से घिरा हुआ है। यह प्रभाग वन्य जीवों के अवैध शिकार के लिये भी अति संवेदनशील है तथा राज्य के संवेदनशील वन प्रभागों की सूची में आता है। अतः वन एव वन्य जन्तु की सुरक्षा की ओर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता प्रभाग में रही है। वन एव वन्य जीवो की सुरक्षा के लिये प्रभाग के अन्तर्गत उपलब्ध आग्नेयास्त्र की मरम्मत एंव कारतूसो का क्रय किया जाना अतिआवश्यक है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी

10. <u>सोलर फैन्सिग का निर्माण</u>:--कौडिया मानव वन्य जीवो द्वन्द हेतु अतिसवेदनशील वन प्रभाग है। उक्त कि रोकथाम हेतु सोलर फैन्सिग का निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है।

11. <u>सुरक्षा खाई का निर्माण</u>:-- इस प्रभाग का क्षेत्र पूरब मे उत्तराखण्ड राज्य की कालागढ टाइगर रिजर्व/कार्बेट टाइगर रिजर्व एंव पश्चिम मे हरिद्वार वन प्रभाग /राजाजी राष्ट्रीय पार्क से मिला हुआ है। प्रभाग के वन क्षेत्र के बीचो बीच मे राजस्व ग्राम भी है। वन्य जीव जैसे टाइगर, हाथी, अन्य वन्य जीव उत्तराखण्ड से इस प्रभाग की सीमा मे प्रवेश करते हुए एक स्थान से दुसरे स्थान को आवगमन करते है । जिससे कि वन्य जीव मानव द्वन्द की सम्भावना बनी रहती है। कौडिया रेंज की नगीना, नजीबाबाद तहसील के आबादी के ग्राम कौडिया रेंज की सीमा से सटे है। ग्रामीणो की काश्त भूमि वन सीमा से मिली है जिस कारण कि वन्य जीव काश्त में चले जाते है तथा वन्यजीव एव मानव संघर्ष की घटनाए घटित होती रहती है। तथा हाथियो द्वारा कृषको की फसल नष्ट किये जाने की काफी घटनाये प्रकाश में आ रही है। इसके निदान हेतु यह प्राविधानित किया जा रहा है कि वन सीमा से मिली हुई काश्त भूमि के समीप सुरक्षा खाई का खुदान किया जाये। ताकि हाथी एंव अन्य वन्य जीव निजी काश्त में न जा सके।

12. <u>मृदा एंव जल संरक्षण संरचनाए</u>:-- इस प्रभाग की कौडिया रेंज उत्तराखण्ड राज्य की पहाडी की तलहटी पर है। कौडिया रेंज के वन क्षेत्रो के अन्तर्गत मालन नदी, सुखरौ नदी , [illegible] नदी व [illegible] नदी बहती है। वर्षात में पहाडी क्षेत्र से अत्यधिक पानी आने के कारण उक्त नदीया द्वारा वन भूमि का कटाव किया जाता है। जिससे की वन सम्पदा का अत्यधिक नुकसान होता है। वन भूमि एव वन सम्पदा की सुरक्षा हेतु नदीयो के किनारे मृदा एंव जल संरक्षण सरचनाए की स्थापना किया जाना अति आवश्यक है।

ग्राम प्राति प्रमाणित

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सा० वा० प्रभाग, बिजनौर

<u>योजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :-</u>

प्रस्तावित कार्यों का विवरण	योग:-	
	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
2	3	4
वन मार्गो की मरम्मत	10	3,00,000
पक्के वाटर होल का निर्माण	2	6,00,000
पक्के वाटर होल मे पानी की व्यवस्था हेतु सोलर ट्यूबवेल समरसेबल बोरिंग का निर्माण	3	30,00,000
पक्के वाटर होलो हेतु पानी की व्यवस्था	ल0स0	50,000
वाहन , वाहन की मरम्मत एव ईधन पर व्यय	ल0स0	30,00,000
कैमरा ट्रैप	5	2,50,000
वॉच टावर का निर्माण	5	15,00,000
राजकीय आग्येयास्त्र की मरम्मत एव कारतूस क्रय	ल0स0	3,00,000
फ्रायर लाईन	10 कि0मी0	25,000
सोलर फैन्सिग का निर्माण	5 कि0मी0	21,25,000
सुरक्षा खाई का निर्माण	15000 मी0	8,68,350
वन्य जीव रेसक्यू व पकडने हेत रस्सा आदि क्रय	ल0स0	50,000
वेटनरी केयर एव पोस्टमार्टम आदि पर व्यय	ल0स0	5,00,000
वन्य जीव द्वारा कृषकों की फसल क्षतिग्रस्त होने, वन्य जीव द्वन्द्व मे घायल या मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि का भुगतान	ल0स0	10,00,000
मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाए	5	2,50,000
योग:-		1,38,18,350

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

छाया प्रति प्रमाणित

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सा० वा० प्रभाग, बिजनौर